N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0227 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/09/2025 19:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/09/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:10 बजे **Time To (समय तक):** 15:42 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/09/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/09/2025 19:16:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 530 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** KOSH KARALYA/PENSION KARALYA, JILA DUNGARPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): JITENDRA KUMAR NINAMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): HURMA NINAMA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1997 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SARAM, RAMSAGARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SARAM, RAMSAGARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GOVIND KUMAR GHATIYA		पिता:MANSHA GHATIYA	1. NAROLI POST MEWARA,,PANCHYAT SAMITI BICHCHHIWARA,RAMSAGARA, DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, मामलात हालात इस प्रकार निवेदन है कि परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने दिनांक 29.8.2025 को उपस्थित ब्यूरो इकाई उदयपुर पर उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि "मैं जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री हुरमा जी निनामा उम्र 28 साल निवासी सरम, पोस्ट वीरपुर मेवाडा, तहसील बिच्छीवाडा, जिला डूंगरपुर का रहने वाला हूं। मैं वन विभाग उदयपुर में चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी के रूप में कार्य करता हूं। मेरे पिता जी वन विभाग में कैटल गार्ड थे जिनकी मृत्यु दिनांक 17.08.2017 को हो गई थी। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर मुझे वन विभाग उदयपुर में अनुकम्पात्मक नियुक्ति मिली थी। मेरे पिताजी की वर्ष 2017 से लगातार पैंशन आ रही थी। मेरे पिताजी की पैंशन का लगभग 2 लाख 59 हजार रूपये का एरियर बना था जिसको पास करवाने के लिये मैं और मेरी माताजी माह अप्रेल 2025 में दोनो पैंशन विभाग डूंगरपुर गये थे जहां हमें श्री गोविन्द घाटिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर मिला था जिससे हमने पिताजी की पैंशन के एरियर के रूपये पास करने की बात कही तो उसने हमसे पैंशन के एरियर के रूपये पास करने की एवज में 90,000 /- रूपये की मांग की थी। इसके बाद उसने मुझे काफी बार फोन किया और रूपयों की मांग की पर मैंने उसे रिश्वत के रूपये देने से मना कर दिया। इसके बाद मेरी माताजी के बैंक खाते में एरियर के रूपये आ गये परन्तु मई 2025 से मेरी माताजी के बैंक खाते में मेरे पिताजी की पैंशन आनी बन्द हो गई। इस पर मैंने और मेरी माताजी ने फिर श्री गोविन्द घाटिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पैशन विभाग, डूंगरपुर से सम्पर्क किया और मेरे पिताजी की पैंशन बन्द करने का कारण पूछा तो श्री गोविन्द घाटिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर ने हमसे फिर टुकडो-टुकडों में तीस-तीस हजार रूपये रिश्वत के रूपये देने की मांग की और नहीं देने पर फिर से पैंशन शुरू करने के लिये मना कर दिया। मैंने दिनांक 02.06.2025 को मेरी माताजी का जीवित प्रमाण पत्र भी ऑन लाईन प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद मैं पुनः डूंगरपुर जाकर श्री गोविन्द घाटिया से मिला तो उन्होने मुझसे कहा कि पहले वाले रूपये दे देते तो पैंशन बन्द नहीं होती। अब अगर पैंशन चालू करवानी है तो टुकडो-टुकडों में तीस-तीस हजार रूपये देने ही पडेंगे। मैं गरीब आदमी हूं और बडी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर रहा हूं। मैं मेरे पिताजी की पैंशन के रूपये जो मेरी माताजी के बैंक खाते में आते है, को फिर से शुरू करवाने के लिये श्री गोविन्द घाटिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पैशन विभाग, डूंगरपुर को 30,000/- रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और श्री गोविन्द घाटिया को रिश्वत के रूपये देते समय रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री गोविन्द घाटिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पैशन विभाग, कोष कार्यालय, डूंगरपुर से कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई लेन-देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर आश्वयक कानूनी कार्यवाही करें।" परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार की उक्त रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा श्री नरपतसिंह, चारण पुलिस निरीक्षक को परिवादी की मूल रिपोर्ट पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को ट्रेप कार्यवाही की प्रणाली से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया कि मैं 5वीं कक्षा पास होकर केवल हस्ताक्षर करना ही जानता हूं मुझे लिखना व पढना नहीं आता हैं। मैंने यह रिपोर्ट डूंगरपुर जिले में वकील साहब से बोलकर टाईप करवाई हैं। फिर वकील साहब ने मुझे टाईपशुदा रिपोर्ट को पढकर सुनाई तो रिपोर्ट सही होने पर मैंने इस पर अपने हस्ताक्षर किये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के बारे में पूछा गया तो परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध श्री गोविन्द घाटिया के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने अवगत करवाया गया कि संदिग्ध श्री गोविन्द घाटिया डूंगरपुर पैंशन विभाग में ही बैठता है वो कम्प्यूर पर कार्य करता है। परिवादी की रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाते हुए रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे में पूछा गया तो परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि मेरे पास श्री गोविन्द घाटिया के मोबाईल नम्बर अभी नहीं है मेरे पुराने मोबाईल में उसके नम्बर सेव थे किन्तु नये मोबाईल में गोविन्द घाटिया के नम्बर सेव नहीं हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश जाट कानि. 424 को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया जाकर परिवादी का श्री सुरेश जाट कानि. 424 का आपस में परिचय करवाया गया एवं श्री सुरेश जाट कानि. से कार्यालय कक्ष की आलमारी में सुरक्षित रखे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मंगवाया जाकर इसके संचालन की विधि परिवादी को भली भांती रूप से समझाई गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश जाट कानि. 424 से नया रिक्त

मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्ड में डाला जाकर मैमोरी कार्ड खाली होना सुनश्चित किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के साथ श्री सुरेश जाट कानि. 424 को मय ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लगा हुआ मुनासिफ हिदायत के जिला डूंगरपुर की ओर समय लगभग 11.40 एएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। जिस पर समय 05.00 पीएम पर श्री सुरेश जाट कानि. 424 ब्यूरो इकाई उदयपुर पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर ब्यूरो का वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड लगा हुआ प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि मैं व परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीबन 1.40 पीएम पर जिला डूंगरपुर जिला कलक्टर कार्यालय मे कुछ पहले पहुंचे। जहां पर मन् कानि. द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि पुनः समझाई जाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया जिसे परिवादी ने अपने पहने हुए कपडे में छुपाया एवं जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में स्थित कोष कार्यालय, (पैंशन विभाग) की ओर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया एवं मन् कानि. भी परिवादी के पीछे-पीछे जिला कलक्टर कार्यालय में स्थित कोष कार्यालय, डूंगरपुर के आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के पुनः आने के इन्जार में मुकिम रहा इसके कुछ समय बाद समय लगभग 02.45 पीएम पर परिवादी उक्त कोष कार्यालय, डूंगरपुर के बाहर आने पर मैं परिवादी के पीछे-पीछे उसी स्थान पर जहां पर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपर्द किया उसी स्थान पर परिवादी ने मुझे ब्यूरो का वॉईस रिकार्ड चालू हालत में पेश किया जिसे मन् कानि. द्वारा बन्द किया गया। परिवादी ने मन् कानि. को अवगत करवाया गया कि मैं रिकार्डर लेकर कोष कार्यालय, (पैंशन विभाग) डूंगरपुर गया जहां पर श्री गोविन्द कुमार घाठिया कम्प्यूटर ऑपरेटर ने मुझसे मेरी माताजी की पैंशन चालू करने की एवज में मुझसे 30,000/- रूपये की मांग की गई तो मैंने कुछ कम करने के लिये निवेदन किया तो श्री गोविन्द कुमार ने मुझसे 20,000/- रूपये की मांग की तथा मुझसे 5000/- अभी देने हेतु कहा तो मैने अभी एक हजार रूपये ही होना बताया और उसे रूपये नहीं दिये श्री गोविन्द कुमार ने दिनांक 01.09.2025 को 20,000/- रिश्वत राशि देने हेतु कहा हैं। जिस पर हम दोनो डूंगरपुर मे रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित हुए। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी से पूछा गया तो परिवादी द्वारा श्री सुरेश जाट कानि. के द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की ताईद की गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चला कर सुना गया तो संदिग्ध श्री गोविन्द कुमार द्वारा परिवादी की माताजी की पैंशन पुनः चालू की एवज में 20,000/- रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टी हुई। चुंकी अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 01.09.2025 को की जानी है अतः मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को मामले हाजा की गोपनीयता बनाये रखने एवं संदिग्ध श्री गोविन्द कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/- की व्यवस्था कर दिनांक 01.09.2025 को समय 9.00 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत के रवाना किया गया एवं ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को उसी अवस्था में सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 01.09.2025 समय 10.00 एएम पर अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान तलबी हेतु निवेदन करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा द्वारा पत्र क्रमांक 1927 दिनांक 01.09.2025 श्रीमान निदेश्रक महोदय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के नाम मुर्तिब कर श्री अशोक कुमार कानि. 07 को स्वतंत्र गवाहान तलबी हेतु रवाना किया गया एवं समय 10.10 एएम पर तलबशुदा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुआ जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया कि अभी मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नहीं हुई है 20,000/- रूपये मेरी माताजी डूंगरपुर स्थित बैंक मे निकाल कर मुझे दे देगी। परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। इसी दौरान समय करीबन 10.30 एएम पर श्री अशोक कुमार कानि. मय स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी के समक्ष स्वतंत्र गवाहान का पचिय पूछा गया तो हर दोनो ने अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री अमर दीप नागदा पुत्र स्व. श्री डालचन्द जी नागदा उम्र 44 वर्ष निवासी 204 गणेश नगर पीपली वाली गली नम्बर 02 प्रेम डेरी के पास आयड पुलिस थाना भूपालपुरा हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय खान एवं भू- विभाग विज्ञान उदयपुर एवं श्री मयंक मनाढ्य पुत्र श्री कृष्ण कान्त मनाढ्य उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नम्बर 40 न्यू अशोक नगर खारकुआ थाना भुपालपुरा जिला उदयपुर हाल सहायक प्रोग्रामर खान एवं भू- विभाग विज्ञान उदयपुर होना बताने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा आयोजित की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप में उपस्थित होने हेतु सहमति चाही जाने पर हर दोनो गवाहो द्वारा अपनी-अपनी मौखित स्वीकृति प्रदान की जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार एवं स्वंतत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया तो उपस्थित परिवादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना एवं रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की गई जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश जाट कानि. 424 को कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय आलमरी में दिनांक 29.08.2025 को सुरक्षित रखे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मंगवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को चला कर सुनाया गया तो दोनो गवाहों द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की गई। दर्ज रहे ट्रेप कार्यवाही जिला डूंगरपुर में आयोजित की

जानी है जिला डूँगरपुर करीबन 115 किमी दूरी पर होने एवं समयाभव के कारण फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जायेगी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपयोग में ली जाने वाली शीशियों, चम्मच आदि को साफ पानी से धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में श्री गुलाब सिंह हैडकानि. से रखवाये गये एवं ब्यूरो स्टाफ एवं परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री अमरदीप नागदा एवं श्री मयंक सनाढय, परिवदी जितेन्द्र कुमार एवं ब्यूरो जाब्ता श्री गुलाबसिंह हैडकानि मय ट्रेप बॉक्स श्री सुरेश जाट कानि. 424 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय सरकारी लेपटोप मय वीडियें कैमरा एवं प्रिन्टर आदि संसाधन के जरिये टेक्सी वाहन के रवाना होने से पहले शेष ब्यूरो श्री मुनीर मोह., श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि, श्री मांगीलाल कानि., श्रीमती प्रियन्का मकानि., अशोक कुमार कानि एवं श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय फिनोफथलीन पाउडर की शीशी के मय सरकारी मिनी बस के आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक भी पीछे-पीछे अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिये डूंगरपुर समय करीबन 11.44 एएम पर रवाना हुए। समय 02.15 पीएम पर मन् पुलस निरीक्षक मय हमराहियानों के अलग-अलग वाहनों से ब्यूरो इकाई उदयपुर से रवाना होकर जिला डूंगरपुर रेल्वे स्टेशन के बाहर मेन रोड पहुंचे जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहनो को एक साईड में खडा करवाया गया एवं श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक के साथ परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को उसकी माताजी से सम्पर्क कर आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 20,000/- रूपये बैंक से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने की हिदायत के रवाना किया गया मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान वाहनों में ही परिवादी व श्री लक्ष्मण सिंह के आने के इन्तजार में मुकिम रहें। इसके करीबन 01 घण्टे पश्चात परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार एवं श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित होकर परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द में अंकित कर श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ब्यूरो कार्यालय आलमारी से साथ में लाये फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर सरकारी मिनीबस के पिछली सीट पर अखबार बिछाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटो को परिवादी के पहने हुई शर्ट के सामने की बायीं जैब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मंयक सनाढ्य से लिवाई गई तो उसमें किसी प्रकार की कोई वस्तु नही पाई। जिस पर श्री गजाराम सहायक से नोटो को परिवादी के जेब में रखवाये गये। श्री अशोक कुमार कान्सटेबल से एक डिपोजल प्लाटिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री गजाराम सहायक प्रषासनिक अधिकारी की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गजाराम सहायक प्रषासनिक अधिकारी से वाहन से बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः श्री गजाराम सहायक प्रषानिक अधिकारी को सुपुर्द की तथा अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को वाहन से बाहर श्री रोड के किनारे जलाकर नष्ट करवाये गये । परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो के स्टाफ का आपस मे पुनः परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा-संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। श्री गजाराम सहायक प्रषासनिक अधिकारी को मौके से ही ब्यूरो कार्यालय रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। तत्पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों अलग-अलग वाहनों से रेल्वे स्टेषन डूंगरपुर से रवाना होकर जिला कलक्टर कार्यालय डूंगरपुर के बाहर पहुंच वाहनों को एक साईड खडा करवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समय 03.42 पीएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु मुनासिब हिदायत देकर जिला कलक्टर परिसर में स्थित कोष कार्यालय (पैंषन विभाग) की ओर मुनासिफ हिदायत के रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों भी परिवादी के गोपनीय ईषारा के इन्तजार में कोष कार्यालय (पैंषन विभाग) के आस-पास ही मुकिम रहे कि समय करीबन 3.47 पीएम पर परिवादी ने कोष कार्यालय (पैंषन विभाग) के बाहर आकर मेन गेट पर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को

हैडकानि. से वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर उसमें से दो प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास निकलवाकर इसी कार्यालय में रखे केम्पर में से साफ पानी की बोतल पुष्करलाल हैडकानि से मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से कराये जाकर मार्क RH1 व RH2 अंकित किया। चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचिट श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से कराये जाकर मार्क LH1 व LH2 अंकित किया। चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी की जेब में से बरामद रिश्वत राशि जो मौके पर स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा के पास सुरक्षित रखवाई गई थी को अमरदीप नागदा को पेश करने हेतु कहने पर उसके द्वारा राशि पेश करने पर स्वतंत्र गवाह उक्त बरामदशुदा नोटो को एक कागज चिट पर सीलबन्द करवाये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीलचिट श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से कराये जाकर मार्क N अंकित किया। तत्पश्चात् आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया द्वारा परिवादी जितेन्द्र कुमार से ग्रहण की गई रिश्वती राशि को अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखा जाने से उक्त पेन्ट के दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक लॉवर मंगवाया जाकर पहनने हेतु उपलब्ध करवाई गई व पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतराई जाकर ट्रैप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब को उल्टा कर डुबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द कर मार्क P1 व P2 अंकित किया। तत्पश्चात आरोपी की पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाया जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी के टेबल की दराज में रखी किताब न्यू पैटर्न संयुक्त स्नातक स्तर प्रारम्भिक परीक्षा एस.एम. सी. सी.जी.एल. टीयर-1 के पेज संख्या 106-107 के मध्य जहां से रिष्वत राषि बरामद हुई है जहां का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से ट्रैप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में कपडे की चिन्दी गिली कर किताब के सम्बन्धित पृष्ठ पर घुमाई जाकर डुबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द कर मार्क B1 व B2 अंकित किया एवं किताब के सम्बन्धित पृष्ठ जहां से रिष्वत राषि बरामद हुई सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपडे की थैली में डालकर सीलचिट करवाई जाकर मार्क B अंकित किया गया। उक्त कार्यवाही की ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग कानि. श्री सुरेश कुमार 424 द्वारा ब्यूरो के सोनी कम्पनी के केमरे में नया रिक्त सेन डिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड डलवाया जाकर विडियो रिकार्डिंग करवाई गई। उक्त फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 06.30 पीए पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवहान के समक्ष श्री गंगाराम बलाई सहायक कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जिला डूंगरपुर को पत्र क्रमांक एसपीएल-1 दिनांक 01.09.2025 जारी कर आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु जारी किया जाकर पत्र के जवाब संलग्न पत्रावली किया। फिर समय 06.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के घटनास्थल निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कर संलग्न पत्रावली किया गया। फिर समय 06.50 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही जब्तशुदा आर्टिकल ट्रेपबॉक्स में श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सुरक्षित रखवाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी मय डिटेनशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया ब्यूरो जाब्ता श्री गुलाबसिंह हैडकानि. मय ट्रेप बॉक्स मय आर्टिकल, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय लेपटोप प्रिन्टर आदि संसाधन के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर रवाना होने से पहले ब्यूरो शेष जाब्ता को सरकारी मिनी बस से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाकर रवाना किया गया। फिर समय 07.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी मय डिटेनशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया ब्यूरो जाब्ता श्री गुलाबसिंह हैडकानि. मय ट्रेप बॉक्स मय आर्टिकल, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय लेपटोप प्रिन्टर आदि संसाधन के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर उपस्थित हुआ। फिर समय 07.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के समक्ष दिनांक 29.08.025 को समय करीब 2.18 पीएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार एवं आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो ब्यूरो के

देखकर रिश्वत राषि स्वीकारोक्ती का पूर्व निर्धारित ईषारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरने का किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता परिवादी के पास कोष कार्यालय (पैंषन विभाग) के पास पहुंचे तो परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर पेष किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दौरान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो इकाई उदयपुर उपस्थित आये जिन्हे अब तक के हालात निवेदन किये जाने पर श्रीमान द्वारा आवष्यक निर्देष प्रदान किये गये। तत्पष्चात परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को उपसिथत स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अवगत करवाया गया कि इसी कार्यालय के अन्दर आखिरी टेबल पर श्री गोविन्द कुमार घाठिया बैंठे है जिन्होने मुझसे रिश्वत राशि 20,000/- रूपये मांग कर ग्रहण कर अपने दोनो हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के कार्यालय में प्रवेष हो कार्यालय के आखिरी टेबल पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने उस व्यक्ति की ओर ईषारा कर अवगत करवाया गया कि यही श्री गोविन्द्र कुमार घाठिया है जिन्होने अभी-अभी मुझसे रिश्वत राशि 20,000/- रूपये मांग कर ग्रहण कर अपने दोनो हाथो से ग्रहण अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपने आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर स्वयं एवं हमराहियानों का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय गोविन्द कुमार घाटिया पुत्र श्री मंषाजी घाटिया उम्र 39 साल निवासी मुकाम नरैली, पोस्ट मेवरा, नारेली जिला कार्यालय कोष कार्यालय (पैंषन विभाग डूंगरपुर) कोषाधिकारी कोष द्वारा अनुबन्धित फर्म रामवीर इन्फा. प्रोजेक्ट, जोधपुर राजस्थान के मार्फत पर अनुबन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर डाटा एन्ट्री का कार्य करना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गोविन्द कुमार घाटिया को परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो श्री गोविन्द कुमार घाटिया ने बताया कि मैंने किसी से कोई रिष्वत राषि नहीं ली है जिस पर उपस्थित परिवादी द्वारा स्वतः ही बताया कि श्री गोविन्द कुमार घाटिया झूमठ बोल रहे है अभी-अभी इन्होंने मेरी माताजी की रूकी हुई पैंषन को पुनः चालू करने की एवज में मेरे से 20,000/- रिष्वत राषि मांग कर अपने हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी है। जिस पर मैंने बाहर आकर आपको ईषारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः पूछा गया तो श्री गोविन्द कुमार घाटिया गिडगडाने लगा और कहने लगा कि मैं गरिब आदमी हूं मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ कर दो एवं आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया द्वारा अपने टेबल पर पडे परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के माताजी के पारिवार पेंषन के भुगतान दिलाने के सम्बन्ध में पेष प्रार्थना पत्र मूल ही प्रस्तुत किया जिस पर स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर करवा संलग्न पत्रावली किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से ग्रहण की गई रिष्वत राषि के बारे में पूछा गया तो राषि अपने टेबल की दराज में रखना बताने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी की कार्यालय की टेबल की दराज की तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा से लिवाई गई तो दराज में रखी किताब न्यू पैटर्न संयुक्त स्नातक स्तर प्रारम्भिक परीक्षा एस.एस.सी. सी.जी.एल. टीरर-1 के पेज संख्या 106-107 के मध्य से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये समेटे हुए निकाल कर पेष किये जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त नोटो को दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान हु ब हु निम्नानुसार हुए- 1 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5FS708441 2 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2DF 157524 3 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8FF 439967 4 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6RC806020 5 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4UA534972 6 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1NE650516 7 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1AS 647963 8 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0MQ866187 9 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6HG625634 10 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0FB175087 11 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7HG 971608 12 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5KR 147018 13 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7KU179918 14 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4HN255204 15 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7CQ 683959 16 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0AF 955107 17 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1UE397568 18 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7SF594367 19 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9BG888775 20 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2BN854134 21 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6CA 377644 22 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1DM1907 23 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7QP447117 24 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0ST815655 25 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2TF 286466 26 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3BG 604224 27 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4DB381756 28 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4DL 663854 29 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0KG367221 30 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6AS151709 31 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4SN639921 32 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5AM 704147 33 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8GL 087953 34 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7AR252020 35 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7VL 477887 36 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6VR 279130 37 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1HC 065680 38 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0PK 554866 39 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4AA 498494 40 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4AA498495 उक्त नोटो का स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा के पास सुरक्षित रखवाया गया। अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया के हाथों का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से श्री गुलाब सिंह

डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई है, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर शब्द व शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया की होने की ताईद की। फिर समय 09.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के समक्ष आज दिनांक 01.09.2025 को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार एवं आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन-देन दौरान वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई है, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर शब्द व शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया की होने की ताईद की। तत्पश्चात समय 10.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थितिन स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड sandisk 16GB बरंग काला को सरकारी लेपटॉप से श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ट सहायक से कनेक्ट करा उसमें संरक्षित वार्तायें दिनांक 29.08.2025 श्री जितेन्द्र कुमार एवं श्री गोविन्द कुमार घाटिया के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तथा आज दिनांक 01.09.2025 को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार एवं आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन-देन दौरान वार्ता की 03 पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पेनड्राईव पर मूल मूल पेनड्राईव की हैश वैल्यू निकाली जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी डब पेनड्राईव एवं तिसरी पेनड्राईव आई.ओ तैयार की गई। मूल पेनड्राईव sandisk 16GB बरंग काला को सफेद कपड़े की थेली में रखवाकर सफेद कपड़े की थेली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सीलचिट कर मार्क MP अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब एवं आईओ पेनड्राईव 16 sandisk 16GB को लिफाफे में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू निकाली जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मूल मैमोरी कार्ड sandisk 16GB बरंग काला को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे निकाला जाकर मेमोरी कार्ड कवर में रखा जाकर सफेद कपड़े की थेली में सीलबन्द कर मार्क M अंकित करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिनकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 11.10 पीए पर आरोपी श्री गोविन्द घाटिया की दौराने ट्रेप कार्यवाही में कानि. श्री सुरेश कुमार कानि 424 के द्वारा ब्यूरो के विडियों कैमरे में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड sandisk 16GB बरंग लाल/काला डलवाया जाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त विडियों केमरे से ऑडियो/विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त वीडियों केमरा में प्रयुक्त मैमेारी कार्ड को वीडियों केमरे से निकलवाकर श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से लेपटोप से कनेक्ट करा कर sandisk 16GB के 03 पेनड्राईव में कोपी करवाये गये। मूल पेनड्राईव की हैश वैल्यू निकाली जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मूल पेनड्राईव sandisk 16GB बरंग लाल/काला को सफेद कपड़े की थेली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सीलचिट कर मार्क MP1 अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दुसरे व तीसरे (डब व आईओ) पेनड्राईव को अनसिल्ड लिफाफे में रखा गया। तत्पश्चात् कानि. श्री सुरेश कुमार द्वारा मूल मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यू निकाली जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं लेपटोप से वीडियों केमरे से मूल मेमोरी कोर्ड को निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड कवर में रखवाया जाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में कागज की चीट लगाकर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क M1 दिया जाकर जरिये फर्द वजह मबूत जब्त किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 11.45 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी गोविन्द कुमार घाटिया पुत्र श्री मंपाजी घाटिया उम्र 39 साल निवासी मुकाम नरैली, पोस्ट मेवरा, नारेली जिला डूंगरपुर कार्यालय कोष कार्यालय (पैंषन विभाग डूंगरपुर) में कम्प्यूटर ऑपरेटर को धारा 47,48 बीएनएसएस का नोटिस जारी कर आरोपी को धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना की जाकर किये गये जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने पर जूर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री मयंक सनाढय से लिवाई गई तो पहने हुए कपडो के अलावा अन्य कोई वस्तु/राषि बरामद नहीं हुई न ही कब्जे ब्यूरो ली गयी। आरोपी के पास एक मोबाईल जो विवो कम्पनी बरंग हल्का आसमानी। उक्त मोबाईल को चैक किया गया तो कोई संदिग्ध वार्ताएँ/विडियों नहीं मिले। मोबाईल आरोपी के कहे अनुसार श्री गंगाराम सहायक लेखाधिकारी को सुपुर्द किये गये। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं समय समय 12.10 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को ब्यूरो इकाई डूंगरपुर में श्री रूखसत दी गई एवं ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री गोविन्द कुमार घाटिया में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सीलचिट शिशियां, सीलचिट पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स आदि को श्री गुलाबसिंह हैडकानि. को सुपुर्द कर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया एवं मन् पुलिस निरीक्षम मथ स्वतंत्र गवाहान मय गिरफतारशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया मय ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेश जाट एवं लक्ष्मणसिंह कनिष्ट सहायक जरिये टेक्सी वाहन एवं शेष जाब्ते जरिये सरकारी मिनी बस के ब्यूरो ईकाई उदयपुर के रवाना हुआ हो ब्यूरो इकाई उदयपुर पहुंचे जहां पर 02.40 एएम पर मन् पुलिस

निरीक्षक ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री गोविन्द कुमार घाटिया में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सीलचिट शिशियां, सीलचिट पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स आदि ट्रेप बॉक्स मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफतारशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया मय ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेश जाट एवं लक्ष्मणसिंह कनिष्ट सहायक जरिये टेक्सी वाहन एवं शेष जाब्ते जरिये सरकारी मिनी बस के ब्यूरो ईकाई उदयपुर के पहुंचे जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल श्री गुलाबसिंह हैडकानि से मालखाना रजिस्ट में इन्द्राज करा सुरक्षित मालखाना में रखवाये गये एवं समय 03.10 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही रूखसत किया गया। समय 07.20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया को ब्यूरो इकाई उदयपुर पर हवालात नहीं होने के कारण आरोपी को सुरक्षित हवालात में रखने हेतु तहरीर थानाधिकारी भुपालपुरा जिला उदयपुर के नाम गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द कुमार घाटिया को मय जाब्ता श्री अशोक कुमार एवं श्री सुरेश कुमार कानिगण को सुरक्षित हवालात में रखने हेतु तहरीर के रवाना थाना भुपालपुरा किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मांगीलाल एवं श्री अशोक कुमार कानिगण को आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया को थाना भुपालपुरा से प्राप्त कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने हेतु तहरीर क्रमांक 1936 दिनांक 02.09.2025 दी जाकर मुनासिफ हिदायत के रवाना किया गया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री मांगीलाल एवं श्री अशोक कुमार कानिगण मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया के श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्र.सं. 01 उदयपुर के निवास पर 15 दिन जे.सी. रिमाण्ड हेतु पेश करने रवाना हुआ। फिर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री मांगीलाल एवं श्री अशोक कुमार कानिगण मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया के श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्र.सं. 01 उदयपुर के निवास पर आरोपी को पेश किया गया माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी का 15 योम जे.सी रिमाण्ड स्वीकृत किया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ब्यूरो इकाई उदयपुर पहुंचे एवं मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मांगीलाल एवं श्री अशोक कुमार कानिगण मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया को मय जे.सी. रिमाण्ड सुपुर्द कर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवाने हेतु रवाना किया गया। जिस पर श्री मांगीलाल एवं श्री अशोक कुमार कानिगण मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया को मय जे.सी. रिमाण्ड के रवानाशुदा आरोपी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवा जमा रसीद प्रस्तुत की गई जो बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली की गई। इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी की माता की तरफ से कोषाधिकारी डूंगरपुर के नाम से पैंशन प्राप्त नहीं होने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र भी स्वयं आरोपी के पास होना पाया गया जिसको आरोपी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान मूल प्रार्थना पत्र अंगुष्ठ निषान हकरी के शामिल पत्रावली किया तथा आरोपी वर्तमान में आदेष क्रमांक 444 दिनांक 12.03.2025 से कोष कार्यालय डूंगरपुर में पैंषन शाखा में रामवीर इन्फ्रा. प्रोजक्ट जोधपुर के माध्यम से अनुवन्द कर बतौर कम्प्युटर ऑपरेटर (डाटा एन्ट्री) के पद पर कार्यरत होना पाया गया जो प्रथम दृष्टया लोक सेवक की श्रेणी में पाया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री गोविन्द कुमार घाटिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय कोषाधिकारी डूंगरपुर (पैंशन विभाग) के फर्म द्वारा अनुबन्धित कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से कोष कार्यालय के अधिकारी की आईडी का उपयोग कर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार की माताजी श्री हकरी की पैंषन को अवैध रूप से बिना अधिकारी की जानकारी एवं सहमति में लाये उनकी आईडी का उपयोग कर परिवादी की माताजी की पैंषन माह अप्रेल-2025 से बन्द की दी गई एवं पैंषन पुनः चालू करवाये जाने की एवज में 30,000/- रूपये की मांग करना तथा वक्त रिष्वत राषि मांग सत्यापन के परिवादी के निवेदन पर 10,000/- रूपये राषि कम कर 20,000/- रूपये लेने पर सहमति दी जाना एवं दिनांक 01.09.2025 को वक्त रिष्वत राषि लेन-देन 20,000/- रूपये ग्रहण कर अपने हाथो मे ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में रखना एवं टेप कार्यवाही की भनक लगने से राषि को अपनी टेबल की दराज में रखी किताब न्यू पैटर्न संयुक्त स्नातक स्तर प्रारम्भिक परीक्षा एस.एस.सी. सी.जी.एल. टीयर-1 के पेज संख्या 106-107 के मध्य रख देना जो मौके पर जब्त की जाना श्री गोविन्द कुमार घाटिया, कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय कोषाधिकारी डूंगरपुर (पैंशन विभाग) के फर्म द्वारा अनुबन्धित कर्मचारी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन करवाये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर के मार्फत ब्यूरो मुख्यालय सादर प्रेषित है। भवदीय, (नरपत सिंह) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत सिंह, पुलिस निरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में श्री गोविन्द कुमार घाटिया पुत्र श्री मन्षा घाटिया उम्र 40 वर्ष निवासी नारेली पोस्ट मेवाडा, पंचायत समिति बिच्छीवाडा थाना रामसागडा डूंगरपुर हाल कम्प्युटर ऑपरेटर (फर्म द्वारा अनुबन्धित कर्मचारी) कोष कार्यालय (पेषंन कार्यालय) जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 53 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक 1293-96 दिनांक 03-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर । 3-निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर । 4 -अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RISHIKESHKESH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location Rajasthan
Date 03/09/2025 19:19

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)